छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रिट याचिका क्र.1723/2004

माधव प्रसाद पिता स्वर्गीय ज्वालाप्रसाद,उम्र लगभग 57 वर्ष,निवासी क्वार्टर नंबर 1/c-32, पोस्ट ऑफ़िस के पास विश्रामपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ ।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. **कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष,10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता।**
2. **अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।**
3. **कार्मिक प्रबंधक , उपक्षेत्र कुंडा,विश्रामपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ ।**
4. **भारत संघ, द्वारा सचिव, कोयला मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली**
5. **निर्देशक,कोयला मंत्रालय,भारत सरकार,शास्त्री भवन,नई दिल्ली**

-------उत्तरवादीगण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रिट याचिका क्र.1723/2004

माधव प्रसाद

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रवीश अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पी दिवाकर अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र.1, 2 एवं 3 की ओर से : श्री पी.एस कोशी सहित श्री अभिषेक सिन्हा अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरुद्दीन

आदेश

24/12/2004

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय के अधीक्षण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से उत्तरवादीगण क्रमांक 3 के द्वारा जारी आक्षेपित सूचना दिनांक 26/06/2003 को चुनौती दी है,जिसके तहत उसे निर्देश दिया गया है कि चूंकि उसने 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए

अधिवर्षिकि आयु पूर्ण करने पर उसे सेवानिवृत्त किया जाएगा जो दिनांक 31/12/2004 से प्रभावी होगा।

2. यह कि याचिकाकर्ता ने 19/12/1962 को अपनी सेवाएं स्वीकार सहज किया। सेवा अभिलेख अनुलग्नक-पी/1 के अनुसार उनकी जन्म तिथि 01/07/1947 है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उपक्षेत्र कुंडा, विश्रामपुर में किशोर अवस्था में श्रेणी-I श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में वह कुंडा उपक्षेत्र में वरिष्ठ लोडिग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 30/06/2007 को उनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी और इस प्रकार वे दिनांक 30/06/2007 तक सेवा में बने रहने के लिए हक़दार है। यह भी तर्क दिया गया है कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(1)(ए) के अनुसार, किशोर वह व्यक्ति है जिसने अपना 15वां वर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। मई 2003 की वेतन पर्ची अनुलग्नक पी/3 के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 01/07/1947 दर्ज है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है। यह तर्क किया गया है है कि जहां तक किशोर का संबंध है, इस प्रावधान को दिनांक 31/05/1984 विलोपित कर दिया गया है और इससे पहले, किशोरों को काम पर रखने की प्रथा थी । उल्लेखनीय है कि खान अधिनियम की धारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40 को संशोधित किया गया है और संशोधन के पश्चात स्थिति यह है कि अब 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी ख़ान या उसके किसी भाग में काम करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुलग्नक - पी/5 दिनांक 1/2/1999 सुसंगत प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ज्ञापन अनुलग्नक - पी/5 में केवल इतना कहा गया है कि कुछ मामले संज्ञान में आए हैं कि लोग 42 और 45 वर्ष से अधिक सेवा दे रहे हैं, इस मामले पर कंपनी द्वारा विचार किया जा सकता है। यह कोई नियम नहीं है। इस मामले को देखना, इसकी जांच करना और कार्रवाई करना कंपनी का काम है। केवल उक्त पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता, जबकि निर्विवाद रूप से उसकी जन्मतिथि 1/7/1947 है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने परिपत्र अनुलग्नक-पी/6 दिनांक 13/2/1999 का संदर्भ दिया और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी नोटिस दिनांक 26/6/2003 का भी संदर्भ दिया और तर्क दिया कि नोटिस अवैध और विधि के विपरीत है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 26/6/2003 को नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 15/7/2003 को जवाब प्रस्तुत किया, जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुलग्नक-पी/8 के रूप में दायर किया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे मामले हैं जहां कर्मचारी एसईसीएल में लगभग 42 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं और कंपनी ने शॉट फायरर चंद्रिका प्रसाद और हसदेव क्षेत्र के फोरमैन इंचार्ज जमुना प्रसाद के मामलों में इस स्थिति को स्वीकार किया है। उक्त अभ्यावेदन उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक को दिनांक 18/08/2003 को भेजा गया था। दिनांक 23/08/2003 को पदाधिकारियों एवं प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। विषय क्रमांक 7 विश्रामपुर क्षेत्र में कार्यरत याचिकाकर्ता माधव प्रसाद के संबंध में सेवानिवृत्ति की सूचना वापस लेने पर विचार से संबंधित है। यह दस्तावेज अनुलग्नक-पी/10 में अन्तर्विष्ट है। यह तर्क दिया गया है कि उसके बाद कुछ नहीं किया गया और अभ्यावेदन पर भी निर्णय नहीं लिया गया।

5. प्रतिवादी 1 से 3 के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा के तहत एक कमर्कार है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त अधिनियम के तहत उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सेवा शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद माना जाता है। यह भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तर्क दिया गया है कि अन्यथा भी याचिका में तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर साक्ष्य की विश्लेषण के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका पर सुनवाई करते समय संभव नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिका देरी से दायर की गई है। वकील ने खान अधिनियम की धारा 40 का हवाला देते हुए जोरदार ढंग से तर्क किया कि किसी भी व्यक्ति को खदान के किसी भी हिस्से में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो जमीन के नीचे है जब तक कि उसने अपना 16वां वर्ष पूरा नहीं कर लिया हो। यह तर्क दिया गया है कि मामला ऐसा है जिसे आयु निर्धारण समिति को भेजा जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस याचिका में शामिल प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति को केवल ज्ञापन अनुलग्नक-पी/5 के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है और जन्म तिथि विवादित नहीं है।

7. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि यह याचिका दिनांक 23/06/2004 को दायर की गई थी। प्रतिवादियों को दिनांक 7/7/2004 को नोटिस जारी किए गए थे। प्रतिवादियों ने जवाब दावा दाखिल नहीं किया। मामले का उल्लेख किया गया था

और आज ही दिनांक 24/12/2004 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब दावा दाखिल किया गया है। याचिका दायर करने में हुए विलम्ब के संबंध में तर्क गुण विहीन है और खारिज किए जाने योग्य है। यह तर्क प्रभावहीन है। प्रतिवादियों की ओर से दिनांक 15/7/2003 के अभ्यावेदन पर विचार न करने तथा दिनांक 23/12/2004 तक रिटर्न दाखिल न करने के कारण देरी हुई है। जहाँ तक विवादित प्रश्नों का संबंध है, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 1/7/1947 होने पर कोई विवाद नहीं हुआ है। यह सेवा अभिलेख अनुलग्नक-पी/1 तथा मई, 2003 की वेतन पर्ची अनुलग्नक-पी/3 से प्रमाणित होता है। जहाँ तक वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व का सवाल है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष प्रदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यह एक परिस्थिति है, जिसे न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना होगा। यह अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष प्रदान करने के न्यायालय के क्षेत्रधिकार को नहीं छीनता है। विधि अच्छी तरह से स्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वर्मा टी.आर. 1958 एस.सी.आर. 499** और **म्युनिसिपल काउंसिल बनाम कमल कुमार ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1321** के मामलों में ऐसा अभीनिर्धारित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरबंसियल**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साहनिया और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य 2003 2 एस.सी.सी. 107 के मामले में भी ऐसा ही अभीनिर्धारित किया है की :

"वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का नियम विवेक का नियम है, न कि बाध्यता का। किसी उचित मामले में, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय कम से कम तीन परिस्थितियों में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है; 1) जहां रिट याचिका में किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग की गई हो; 2) जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो; या 3) जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर हो या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी गई हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और अन्य जेटी 2003 (10) एससी 300 (पैरा 27)** में कहा है कि रिट याचिका की पोषण्यता के संबंध में निम्नलिखित विधिक सिद्धांत उत्पन्न होते हैं:

"क. किसी उचित मामले में, किसी राज्य या राज्य के किसी साधन के विरुद्ध

संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
ख. केवल इसलिए कि तथ्यों के कुछ विवादित प्रश्न विचार के लिए उठते हैं, नियम के रूप में सभी मामलों में रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने का आधार नहीं हो सकता है,
ग. मौद्रिक दावे के अनुषांगिक अनुतोष से संबंधित रिट याचिका भी सुनवाई योग्य है।"

9. इस न्यायालय की युगलपीठ ने **एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड (सुप्रा), हरबंसियल साहनिया (सुप्रा) और राधा रमन सामंत बनाम बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (2004) 1 एससीसी 605** को रिट याचिका संख्या 2072/2001 (के.पी. चंद्रवंशी एवं अन्य बनाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य) में रिपोर्ट किए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित सिद्धांत पर विचार करते हुए इस मामले में निर्णय किया है। इस न्यायालय ने अभीनिर्धारित किया आगे कहा कि रिट याचिका तब भी पोषणीय हेतु उत्पन्न होते है जब तथ्यों के कुछ विवादित प्रश्न विचारणीय हों और यदि यह मामले के आधार पर अन्यथा न्यायोचित हो, तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न उपरोक्त विधिक सिद्धांतों को देखते हुए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका की पोषणीयता के बारे में प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं हैं, तथा इस याचिका को सुनवाई योग्य माना जाता है।

10.जहां तक ज्ञापन दिनांक 1/2/1999 अनुलग्नक-पी/5 का संबंध है, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है, वह इस प्रकार है:

“मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में कार्यरत ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने 45 वर्ष से अधिक सेवा प्रदान की है या करने वाले हैं। कोयला कंपनी में सेवानिवृत्ति आयु तथा पीएसयू की सेवा कार्यरत अवयस्क की आयु को देखते हुए यह स्पष्ट है कि व्यक्ति 42 वर्ष से अधिक सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। यदि किसी कोयला कंपनी की सेवा में कार्यरत अवयस्क 42 वर्ष से अधिक अवधि से सेवारत है, तो यह स्पष्ट है कि कोल इंडिया की सेवा में उसके प्रवेश से संबंधित दस्तावेजों में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य है।

इसलिए अनुरोध है कि कंपनी इस मामले पर गौर करे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कंपनी के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और जहां आवश्यक हो, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार करे। कृपया इस मामले में एक प्रतिवेदन इस मंत्रालय को एक पखवाड़े के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भीतर प्रस्तुत की जाए। ऊपर सुझाए अनुसार कार्रवाई करते समय, लंबित न्यायालय मामलों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

11. याचिकाकर्ता ने 19/12/1962 को कार्यभार ग्रहण किया। उनकी जन्म तिथि 1/7/1947 है। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि उन्हें कुंडा,विश्रामपुर उप क्षेत्र में वयस्क के रूप में श्रेणी-I श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि भूमिगत।

12. धारा 40 में रोजगार पर रोक नहीं है। इसमें वे सावधानियां बताई गई हैं, जो वयस्कों को खदान के किसी भी हिस्से में काम करने की अनुमति देने से पहले बरती जानी चाहिए, जो भूमिगत है। यह सुरक्षात्मक और सावधानी का प्रावधान है। वयस्क को काम पर रखा जा सकता है, लेकिन उसे खदान में तब तक पदस्थ नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए अपेक्षित सुरक्षा उपाय न किए जाएं। भूमिगत क्षेत्र में पदस्थापना के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। खान अधिनियम की धारा 40 (1) में यह प्रावधान है कि किसी भी वयस्क को खदान के किसी भी हिस्से में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो भूमिगत है, जब तक कि सुरक्षा शर्तें ए, एए, बी और सी पूरी न हो जाएं। याचिकाकर्ता ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि वह भूतल पर पदस्थ था और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। वैसे भी वयस्कों की अवधि केवल तीन वर्ष ही रही जो वर्ष 1965 में समाप्त हो गई। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30/06/1965 के बाद 18 वर्ष की आयु प्राप्त की। वह आज तक नौकरी में भी है। ऐसी परिस्थितियों में, खान अधिनियम की धारा 40 में निहित प्रावधान मामले में उठाए गए विवाद में किसी भी तरह से मदद नहीं करते हैं।

13. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। अनुलग्नक-पी/5 विभाग को मामले की उचित जांच किए बिना नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं देता है। जन्मतिथि अभिलेख में उपलब्ध होने के बाद भी, बिना जांच के ही विवादित नोटिस जारी किया गया है। विभाग निश्चित रूप से मामले की जांच कर सकता है और आवश्यकता का अनुपालन करने के बाद विधि के अनुसार आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है और अवसर देने के बाद विभाग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उसकी जन्मतिथि दर्ज की गई जन्मतिथि से अलग है, तब तक की गई कार्रवाई उचित समाधान नहीं है।

14. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने अभीकथन किया है कि उन्हें मामले को देखने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुमति दी जाएं परिकल्पित है। इस उद्देश्य के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादियों के लिए हमेशा यह विकल्प है कि वे विधि के अनुसार आगे बढ़ें और मामले को देखें।

15. उपरोक्त अवलोकन के अधीन, याचिका को स्वीकार की जाती है और सेवानिवृत्ति का निर्देश देने वाला विवादित नोटिस दिनांक 26/06/2003 अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By **SrijanShrivastava,Advocate**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur